संख्या-56/2021/1993/33-3-2021-100(8)/2020

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 01 नवम्बर, 2021**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत अनुदान संख्या- 81 हेतु राजस्व मद में राज्यांश रू. 05.34 लाख अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5/शा0/74/2021-आर.जी.एस.ए./81(1)/2015 दिनांक 12.10.2021 द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 के क्रम में शासनादेश संख्या-49/2021/1435/33-3-2021-100(4)/2020 दिनांक 27.08.2021 द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश रू. 08.00 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू. 05.34 लाख को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा धनराशि का व्यय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत निर्गत गाइडलाइन/दिशा-निर्देश के अनुसार किया जायेगा।

(2) आकड़ों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाईडलाइन/दिशा निर्देश तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा तथा स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन का दायित्व निदेशक, पंचायतीराज का होगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज के नियमानुसार समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था अन्तर्गत निर्धारित मदों में किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 का होगा।

(11) भारत सरकार द्वारा निर्गत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की गाइड लाइन के अनुसार भारत सरकार से राजस्व मद में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों -796-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-04-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.)(के.60/रा.40-के*रा.)-42-अन्य व्यय में मैचिंग राज्यांश रू. 05.34 लाख (रू. पांच लाख चौंतीस हजार मात्र) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के नाम से बैंक ऑफ बड़ौदा, गोमतीनगर में खोले गए खाता संख्या-31860100018092 आई.एफ.एस.सी. कोड-BARB0AVALUC में अवमुक्त किया जायेगा।

(12) निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और नही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(13) निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित अन्य शर्तों/उपबन्धों का समावेश स्वस्तर से कर लेंगे।

(14) निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(15) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149-दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं समय/समय पर निर्गत अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुपालन का दायित्व निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 का होगा।

(16) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी.एम.-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक उपलब्ध कराया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0स0-ई-2-1817-दस-2021-2022 दिनांक- 27.10.2021 में प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग,उ0प्र0 प्रदेश शासन।
3- समस्त जनपदों के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी उ0प्र0।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- एन0आई0सी0 की प्रति।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।